


फा. सं.14034/01/2013-स्था.(घ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली
दिनांक : 3 अक्टूबर, 2013

कार्यालय आपन

विषय : खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के संबंध में समेकित अनुदेश ।

अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त विषय का संदर्भ लने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सराहनीय खिलाड़ियों की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनवृद्धि आदि के लिए प्रोत्साहन के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न अनुदेश जारी किए गए हैं। अभी तक जारी किए गए सभी अनुदेशों को सभी संबंधितों के संदर्भ एवं मार्गदर्शन की सुविधा हेतु सरल ग्राह्य शीर्षकों के तहत समेकित किया गया है। इन समेकित अनुदेशों को इस विभाग की वेबसाइट <http://www.persmin.nic.in> पर सक्रिय रूप से अपलोड किया गया है (OM & Orders → Establishment → (B) Personnel → (I) Service Matters → (m) Sportsperson/Sports Quota). इसे सूचना, दिशा-निर्देश एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।



(अरुणोदय गोस्वामी)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 23040339


सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि :

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
6. महा पंजीयक, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली
7. पंजीयक, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली
8. भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, नई दिल्ली
9. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
10. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली
11. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय

12. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली
13. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली
14. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
15. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13 फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली
16. स्थापना अधिकारी एवं ए.एस.
17. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी एवं अनुभाग
18. सुविधा केंद्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (20 प्रतियां)
19. एनआईसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु।
20. स्थापना अनुभाग (100 प्रतियां)



(अरुणोदय गोस्वामी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 23040339

भारत सरकार में खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन पर समेकित अनुदेश

क. भर्ती

I. पात्रता

(क) निम्नलिखित मानदंड के संदर्भ में सराहनीय सुविचारित खिलाड़ियों की नियुक्तियां इन आदेशों के तहत की जा सकती हैं

- (i) इन अनुदेशों में उल्लिखित किसी भी खेल/खेलों में राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में राज्य अथवा देश का जिस खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया हो ।
- (ii) इन अनुदेशों में उल्लिखित किसी भी खेल/खेलों में अंत-विश्वविद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में अपने विश्वविद्यालय का जिस खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया हो ।
- (iii) इन अनुदेशों में उल्लिखित किसी भी खेल/खेलों में अखिल भारतय विद्यालय खेल संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल/खेलों में राज्य की विद्यालय टीम का जिस खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया हो ।
- (iv) उन खिलाड़ियों को जिन्होंने राष्ट्रीय शारीरिक सक्षमता अभियान के अंतर्गत शारीरिक सक्षमता में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया हो ।

(ख) जिस क्लास/श्रेणी से आवेदक संबंधित है, के संबंध में छुट के लिए अनुमति प्राप्त कर ली हो, के अलावापद के लिए लागू भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित विशेषकर आयु, शैक्षिक अथवा अनुभव अर्हताओं के संबंध में और आवेदित पद पर नियुक्ति हेतु सब मिलकर यदि आवेदक पात्र, नहीं है तो ऐसी नियुक्तियां नहीं की जा सकती।

(कार्यालय ज्ञापन सं. 14015/1/1176-स्था(घ) दिनांक 4 अगस्त, 1980 का पैरा)

II. जिन पदों के लिए लागू है

- (क) समूह 'ग' अथवा पूर्व में समूह 'घ' के किसी पद पर, जो उनके लिए अनुकूल भर्ती नियमों के अंतर्गत हो सीधी भर्ती से भरे जाने हैं पर सराहनीय खिलाड़ियों की नियुक्ति की जा सकती है अन्यथा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा सकती है ।
- (ख) सीधी भर्ती द्वारा समूह 'क' और समूह 'ख' के किसी भी पद पर ऐसी नियुक्ति नहीं की जा सकती ;
- (ग) उपर्युक्त उप-पैरा (क) के अंतर्गत एक सराहनीय खिलाड़ी की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है इस तथ्य के बावजूद भी कि वह पहले से ही सरकारी सेवा में है ।
- (घ) पदोन्नति पर सरकार के अंतर्गत किसी पद पर नियुक्ति करते समय सराहनीय खिलाड़ी को कोई वरीयता नहीं दी जाएगी इस तथ्य के बावजूद भी कि समग्र योग्यता का आंकलन करते समय इस तथ्य पर विचार किया गया हो ।

III. ऐसी भर्ती का विस्तार

- (क) भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग सीधी भर्ती द्वारा भर्ती प्रक्रिया में छूट से किसी भी वर्ष में सराहनीय खिलाड़ियों की भर्ती की जा सकती है कि छूट की सीमा प्रस्तावित रिक्तियों की कुल संख्या वर्तमान आदेशों में अंतर्गत सभी अन्य आरक्षणों सहित 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (ख) सराहनीय खिलाड़ियों की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी अपने स्वविवेक से उन सभी मामलों में जहां रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जाती हैं, रिक्तियों का 5 प्रतिशत कम करके आयोग को अधिसूचित कर सकते हैं और इन रिक्तियों को सराहनीय खिलाड़ियों की नियुक्ति द्वारा भर सकते हैं बशर्ते कि कुल सीमा उपर्युक्त उप-पैरा (क) में उल्लिखित के अनुसार है।

(दिनांक 4 अगस्त, 1980 के कार्यालय जापन संख्या 14015/1/76-स्था(घ) का पैरा 3)

IV. खेलों की सूची जिनमें सराहनीय खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु पात्रता है

क्र. सं.	खेल का नाम	क्र. सं.	खेल का नाम
1	तीरंदाजी	2	एथलेटिक्स (ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं सहित)
3	अट्या-पट्या	4	बेडमिंटन
5	बाल बैडमिंटन	6	बॉस्केट बॉल
7	विलियर्ड व स्नफर	8	मुक्केबाजी
9	ब्रिज	10	कैरन
11	शतरंज	12	क्रिकेट
13	साइक्लिंग	14	इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स
15	फुटबॉल	16	गोल्फ
17	जिमनास्टिक (बॉडी बिडिंग सहित)	18	हैंडबाल
19	हॉकी	20	आइस स्कीइंग
21	बर्फ-हॉकी	22	आइस स्केटिंग
23	जूडो	24	कबड्डी
25	कराटे-डो	26	केआक्रिग और केनोइंग
27	खो-खो	28	पोलों
29	पॉवर लिफ्टिंग	30	राइफल शूटिंग
31	रोलर स्केटिंग	32	रोइंग
33	सॉफ्ट	34	स्कवैश
35	तैराकी	36	टेबल टेनिस
37	ताइक्वांडो	38	रेनी-कोएट
39	टेनिस	40	बॉलीबाल
41	भारोतोलन	42	कुश्ती
43	याचिंग		

दिनांक 4 अगस्त, 1980 के कार्यालय जापन सं. 14015/1/76-स्था.(घ) का अनुबंध 'क', दिनांक 18 सितम्बर, 1985 के कार्यालय जापन सं. 1434/4/85-स्था.(घ) का पैरा-1, दिनांक 21 मार्च, 1991 के कार्यालय जापन संख्या 14034/1/91-स्था.(घ) का परिशिष्ट तथा दिनांक 24 नवम्बर, 2009 के कार्यालय जापन सं. 14034/1/2009-स्था.(घ) का पैरा 3

V. खिलाडियों की भर्ती पात्रता हेतु प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारियों की सूची

क्र. सं.	स्पर्धा	प्रमाण-पत्र प्रदान करने वाले अधिकारी	जिस कार्य में प्रमाण-पत्र दिया जाना है
1	अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा	संबंधित खेल के राष्ट्रीय संघ के सचिव	1
2	राष्ट्रीय स्पर्धा	संबंधित खेल के राष्ट्रीय संघ के सचिव अथवा राज्य संस्था के सचिव	2
3	अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट	संबंधित विश्वविद्यालय के डीन (खेल) अथवा समस्त खेलों के प्रभारी अन्य अधिकारी	3
4	स्कूलों के लिए राष्ट्रीय/खेल/क्रीडाएं	राज्य के स्कूलों के लिए सार्वजनिक अनुदेश/शिक्षा निदेशालय के समस्त खेलों के निदेशक/संयुक्त या उप-निदेशक	4
5	शारीरिक सक्षमता अभियान	भारत सरकार के शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय में सचिव अथवा समस्त शारीरिक सक्षमता के प्रभारी अन्य अधिकारी	5

(दिनांक 4 अगस्त, 1980 के कार्यालय जापन संख्या 14015/1/78-स्था.(घ) का अनुबंध 'ख')

उपयुक्त संदर्भित 1, 2, 3, 4 तथा 5 फार्मों के नमूने अनुबंध 'क' में दिए गए हैं ।

VI. वरीयता का क्रम

- (क) उन उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता दी जाएगी जिन्होंने युवा मामले एवं खेल विभाग की सहमति से किसी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में प्रतिनिधित्व किया हो ।
- (ख) अगली वरीयता उन उम्मीदवारों को दी जा सकती है, जिन्होंने भारतीय ओलिंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों अथवा युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर या जूनियर स्तर की राष्ट्रीय चैंपियनशिपों में किसी राज्य/संघशासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो और तीसरे दर्जे तक का मेडल प्राप्त किया हो ।

सीनियर तथा जूनियर चैंपियनशिप खेलों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से सीनियर स्तर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल जीतने वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

- (ग) अगली वरीयता उन्हें दी जा सकती है जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन/अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर विश्वविद्यालय स्पर्धा में प्रतिनिधित्व किया हो और फाइनल में तीन स्थानों पर रहे हो या मेडल जीता हो ।
- (घ) अगली वरीयता उन्हें दी जा सकती है जिन्होंने, अखिल भारत स्कूल खेल संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किया हो और मेडल जीता हो या प्रथम तीन स्थानों पर रहे हों ।
- (ङ) अगली वरीयता उन्हें दी जा सकती है जिन्हें राष्ट्रीय शारीरिक सक्षमता अभियान के अंतर्गत शारीरिक सक्षमता में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया हो ।
- (च) अगली वरीयता उन्हें दी जा सकती है जिन्होंने किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश/विश्व विद्यालय/राज्य स्कूल टीमों के स्तर पर (ख) से (घ) श्रेणियों में प्रतिनिधित्व किया है लेकिन वरीयता के इसी क्रम में कोई मेडल प्राप्त नहीं कर सके, या स्थान प्राप्त नहीं कर पाए ।

टिप्पणी 1: बराबरी की स्थिति में जिन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया हो या एक से अधिक मेडल जीते हों, को वरीयता दी जा सकती है ।

टिप्पणी 2: व्यक्तिगत तथा टीम स्पर्धा में भागीदारी को समान वरीयता दी जा सकती है ।

टिप्पणी 3: एक मेडल/स्थान से अधिक जीतने के लिए कोई वरीयता न दी जाए ।

टिप्पणी 4: टूर्नामेंट के स्तर के बारे में किसी शंका के मामले में, मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा खेल और युवा मामले विभाग के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा ।

(दिनांक 4.05.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/1/95-स्था.(घ) का पैरा 2)

VII. भर्ती के लिए आयु-सीमा में छूट

- (क) इन अनुदेशों के पैरा क.1.(क) में विनिर्दिष्ट खिलाड़ी की श्रेणियों को इन अनुदेशों में पूर्व विनिर्दिष्ट पदों में नियुक्ति के प्रयोजनार्थ 5 वर्ष की अधिकतम सीमा तक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में 10 वर्ष) ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है ।

(दिनांक 12.11.1987 का का.ज्ञा.सं. 15012/3/84-स्था.(घ))

- (ख) यह छूट केवल उन खिलाड़ियों के लिए ही उपलब्ध होगी जो शैक्षिक अर्हताओं इत्यादि संबंधी अन्य सभी पात्रा शर्तों को पूरा करेंगे और इन अनुदेशों में निर्धारित किसी प्राधिकारी से प्रापत्र में प्रामाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे ।

VIII. प्रक्रिया

- (क) खिलाड़ियों की सभी भर्तियां रोजगार समाचार में रिक्तियों के केवल विज्ञापन द्वारा ही की जाएंगी तथा न कि अन्यथा प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए ।

(दिनांक : 25.07.2000 के का.जा.सं. 140034/2/99-स्था.(घ) का पैरा 1)

- (ख) नियुक्ति प्राधिकारी अथवा किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा क.।.क) में उल्लिखित किसी श्रेणियों के खिलाड़ी से प्राप्त हुए किसी आवेदन पर मंत्रालयों/विभागों अथवा विभाग प्रमुख, जैसा भी मामला हो, द्वारा पूर्व पैराग्राफ में उल्लिखित किसी प्रतिस्पर्धाओं में से आवेदक के अपने प्रतिनिधित्व किए जाने संबंधी प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आलोक में विचार किया जा सकता है, तथा जो आवेदक पद के सेवा, जिसके लिए वह एक अभ्यर्थी है, के निमित्त नियमों में निर्धारित किए अनुसार शिक्षा, आयु इत्यादि संबंधित अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करने के भी अधीन है । उक्त पैराग्राफों के अनुसार किसी आवेदक की पात्रता पर विचार करते समय सामान्यतया पैरा क.व. में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण-पत्रों पर भी केवल ध्यान दिया जाए। ऐसे किसी अभ्यर्थी की नियुक्तियां मंत्रालयों/विभागों अथवा विभाग प्रमुख, जैसा भी मामला हो, के इन आदेशों के अंतर्गत अभ्यर्थी की पात्रता के साथ-साथ सभी दृष्टि से पद के लिए उसकी उपयुक्तता के बारे में संतुष्ट होने के पश्चात् ही की जाए । जहां नियुक्ति प्राधिकारी किसी विभाग प्रमुख के अधीनस्थ हो, वहां ये प्राधिकारी इस संबंध में विभाग प्रमुख को अभ्यर्थी की प्रस्तावित नियुक्ति में उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक ब्यौरों सहित संस्तुति करें ।
- (ग) ये अनुदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पूर्व सैनिक के लिए आरक्षण संबंधित उन आदेशों को प्रभावित नहीं करेंगे जो समय-समय पर लागू होंगे । अन्य शब्दों में, किसी वर्ष में इन आदेशों के अनुसार भरी गई रिक्तियों को आरक्षण आदेशों के लिए आवेदन करने के प्रयोजनार्थ उस वर्ष के दौरान सेवा/पद में रिक्तियों की कुल संख्या के परिकलन में ध्यान रखा जाएगा ।

(दिनांक 04.08.1980 के का.जा.सं. का.जा.सं.14015/1/76-स्था. (घ) का पैरा 5)

IX. आरक्षण रोस्टर में खेल-कूद कोटा के अंतर्गत नियुक्ति किए गए व्यक्तियों का समायोजन

खेल-कूद कोटा के अंतर्गत नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/सामान्य के विरुद्ध भर्ती/आरक्षण रोस्टर में समायोजित किया जाए, जैसे कि अनुसूचित जाति के किसी खिलाड़ी को अनुसूचित जाति आरक्षण बिन्दु के विरुद्ध गिना जाएगा; यदि वह अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है तो उसकी गणना अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिन्दु के विरुद्ध की जाएगी तथा यदि वह सामान्य श्रेणी का है तो उसे आरक्षण रोस्टर में सामान्य श्रेणी रिक्ति बिन्दु के विरुद्ध दिशाया जाएगा ।

(दिनांक 29.11.1996 के का.जा.सं. 14034/3/95-स्था. (घ) के पैरा 2(iii)

ख. वेतनवृद्धियां (वैयक्तिक वेतन)

1. वेतनवृद्धियां की संख्या

(ii) **खिलाडी**

- क. राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाने वाली वेतन-वृद्धियों की संख्या को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्टता से निम्नस्तर वेतनमान पर निर्धारित किया जाए, जैसे कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए एक वेतनवृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के निमित्त दो वेतनवृद्धियां ।
- ख. किसी व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली वेतनवृद्धियों की कुल संख्या उसके सम्पूर्ण कैरियर में पांच से अधिक नहीं हो ।
- ग. छूट प्रदान करने के समय देय अगली वेतनवृद्धि की राशि के समकक्ष इस प्रकार प्रदान की गई वेतनवृद्धि, वैयक्तिक वेतन के रूप में सेवानिवृत्ति तक उसकी दर पर आहरित की जानी जारी रहेगी तथा उसकी गणना सेवानिवृद्धि परिलाभों के प्रयोजनार्थ की जाएगी परन्तु छोटा परिवार मानकों को बढ़ावा देने के निमित्त प्रोत्साहन की अनुरूपता पर पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए नहीं ।

(दिनांक 16.07.1985 के का.जा.सं.6/1/1986-स्था.(वेतन-1) के पैरा (iv)

- घ. दिनांक 1.1.86/1.1.96 से पूर्व वैयक्तिक वेतन की दर का संशोधन चौथे/पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग संस्तुतियों के अनुसरण में संशोधित वेतनमान में वेतनवृद्धि की निम्नतम दर की समकक्ष राशि में किया जाएगा, जो उस पद के वेतनमान के तदनुरूपी होगा जिसके विरुद्ध व्यक्ति ने वेतन के संशोधित वेतनमान पूर्व में वैयक्तिक वेतन अर्जित किया था तथा उन्हें संशोधित वेतनमान में वेतनवृद्धियों की वही संख्या दी जाएगी जो संशोधन पूर्व वेतनमान में दी गई थीं ।

(दिनांक 7.11.1988 का का.जा.सं. 6/1/1985-स्था.(वेतन-1) तथा दिनांक 8.8.01 का का.जा.सं. 6/1/97-स्था.(वेतन-1)

- ड. इस प्रकार प्रदान की गई वेतनवृद्धियां सेवानिवृत्ति तक उसी दरों पर आहरित की जानी जारी रहेंगे परन्तु उसकी गणना पदोन्नति पर वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति परिलाभ अथवा डीए/सीसीए इत्यादि जैसे किसी सेवा मामले के लिए नहीं की जाएगी ।

(दिनांक 7.11.1988 का का.जा.सं. 6/1/1985-स्था.(वेतन-1) के पैरा 3(vi)

- च. वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) पर विचार राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में (इनडोर और आउटडोर दोनों) खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं के लिए किया जाना है ।

(दिनांक 30.09.1989 का का.जा.सं. 6/2/65-स्था.(वेतन-1) के पैरा (घ)

- छ. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग संस्तुतियों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, संशोधित वैयक्तिक वेतन को वैयक्तिक वेतन की मौजूदा राशि से दुगुना किया जाएगा, जो अनुबंध 'ख' के कालम 7में यथा निर्दिष्ट न्यूनतम 210/-रुपए प्रति माह के अधीन होगा ।
- ज. वैयक्तिक वेतन का संबंध उस पद के तदनुसूची ग्रेड वेतन से होगा जिसके विरुद्ध संबंधित कर्मचारी ने प्रारंभमें वैयक्तिक वेतन अर्जित किया था अथवा अर्जित करेगा ।
- झ. संशोधित दर 1 सितम्बर, 2013 से उत्तरव्यापी रूप से लागू होगी ।

(दिनांक 19.09.2013 के का.जा.सं. 6/1/2013-स्था.(वेतन-1))

(ii) रैफरी/अम्पायर

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रैफरियों/अम्पायरों को प्रत्येक प्रतिस्पर्धा के लिए दो अग्रिम वेतनवृद्धियां दी जाएगीं जो सम्पूर्ण कैरियर में कुल दो वेतनवृद्धियों के अधीन हैं । इस प्रकार प्रदान की गई वेतनवृद्धियां सेवानिवृत्ति तक उसी दर पर आहरित की जानी जरी रहेगी । ('उत्कृष्टता' शब्दावली का अर्थ होगा कि अम्पायर/रैफरी को विशेष खेल-कूद शाखा को अभिशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा अम्पायर/रैफरी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है तथा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इयूटियों का निष्पादन किया है । तथापि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी इयूटियों का निष्पादन करने वाले रैफरियों/अम्पायरों को ऐसे कोई प्रोत्साहन नहीं दिए जाएंगे ।

(दिनांक 11.08.1994 के का.जा.सं. 13/26/92-स्था.(वेतन-1) के पैरा (2))

(iii) कोच

एशियन खेलों/विश्व चैंपियनशिप/ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टिमों के साथ संबद्ध कोचों को टिम के सदस्यों को उपलब्ध होने वाली वेतनवृद्धियों की संख्या प्रदान करने के निमित्त विचार किया जा सकता है तथा इस प्रकार टिमों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले केवल कोच ही अग्रिम वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे । तथापि ये परिणाम उन कोचों को उपलब्ध नहीं होंगे जिनके मामले में (i) राष्ट्रीय टिमों को प्रशिक्षण प्रदान करना उनकी सामान्य इयूटियों का हिस्सा हो । (उदाहरणार्थ एसएआई कोच) (ii) व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोचों को भी ये परिलाभ उपलब्ध नहीं होंगे ।

(दिनांक 11.08.1994 के का.जा.सं. 13/26/92-स्था.(वेतन-1) के पैरा (2))

(iv) प्रबंधक/कोच/मसाजर/चिकित्सक

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में टीम की भागीदारी का संचालन कोच/प्रबंध करने वाले नियमों के अंतर्गत, परिसंघों द्वारा यथा अनुमोदित अथवा अपेक्षित

प्रबंधकों/कोचों/मसाजरो/चिकित्सकों को टीमों का अभिन्न अंग के रूप में माना जाएगा तथा इन अधिकारियों को भी वही सुविधा की अनुमति दी जा सकती है जैसेकि ऐसी भागीदारी के लिए खिलाड़ियों को उपलब्ध हो केवल जब कभी भी संबंधित विभाग द्वारा प्रयोजित किया जाए तब अग्रिम वेतनवृद्धियों के रूप में पुरस्कार प्रदान करने के प्रश्न पर मैरिट के आधार पर विचार किया जा सकता है, को छोड़कर तथापि, टूर्नामेंटों के संचालन से संबंधित तकनीकी अधिकारियों को इस प्रयोजनार्थ टीमों के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा ।

(दिनांक 7.11.1988 के का.जा. सं. 6/1/85-स्था.(वेतन-1) के पैरा 3 (iv)

- II. एफआर 27 के अंतर्गत यथापरिभाषित सक्षम प्राधिकारी को कर्मचारी द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किए जाने वाली वेतनवृद्धियों की संख्या का निर्णय करेंगे ।
- III. वह माह, जिसमें खेलकूद प्रतिस्पर्धाएं सम्पन्न की जाती हैं, के बाद के माह के प्रथम से वेतन वृद्धि प्रदान की जानी है ।
- IV. वेतनवृद्धि का दावा करने के लिए कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं की गई है । तथापित, उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले भागीदार यथा संभव शीघ्र वेतनवृद्धि का दावा करें ।
- V. समग्र समापन की समापन तिथि के संबंध वेतनवृद्धि की दर का निर्णय किया जाए ।
- VI. दिनांक 16.07.1985 के का. जा. के प्रावधान दीर्घानुभवी मीटों के लिए लागू नहीं हैं ।
- VII. उक्त अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धियों के परिलाभों को वरिष्ठों के वेतन को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ विसंगति के रूप में नहीं माना जाएगा ।

(दिनांक 30.01.1989 का का. जा. सं. 6/2/65- स्था. (वेतन-1)

VIII. उत्कृष्टता की परिभाषा

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं/वैयक्तिक और टीम प्रतिस्पर्धा और दानों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उत्कृष्टता प्राप्त करती है, ऐसा माना जाएगा यदि उसने तीन से अधिक वैयक्तियों अथवा टीमों ने प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया हो तथा यदि उसने खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में फाइनलों में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो । यदि किसी खेलकूद प्रतिस्पर्धा के फाइनल में केवल तीन अथवा कम वैयक्तियों अथवा टीमों ने प्रतिभागिता की हो तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी/टीम ने उत्कृष्टता प्राप्त कर ली है ऐसा माना जाएगा ।

(दिनांक 18.05.2010 के का. जा. सं. 6/2/2009-वेतन 1 के पैरा 2)

ग. खिलाड़ियों के लिए बिना बारी के पदोन्नति योजना

I. उद्देश्य

वैयक्तिक पद को खिलाड़ी में उन्नयन द्वारा खेल-कूद प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्टता के लिए किसी खिलाड़ी को तब तक बढ़ावा देना जबतक यह या तो उसकी परवर्ती पदोन्नति, त्यागपत्र अथवा सेवानिवृत्ति पर खिलाड़ी द्वारा रिक्त किया जाता है ।

II. जिसके लिए यह लागू है

यह योजना रेलवे सेवाओं तथा परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण के अंतर्गत सेवाओं तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अंतर्गत वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं को छोड़कर सभी केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मियों तथा केन्द्रीय सेवाओं के लिए लागू है ।

III. बारी के बिना पदोन्नति द्वारा पुरस्कृत किए जाने वाला प्रदर्शन

बारी की बिना पदोन्नति के पात्र होने वाले खेल-कूद प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता प्रदर्शन निम्नलिखित नियमित शाखाओं तक सीमित होगा :

- I. ओलंपिक खेल
- II. राष्ट्रमंडल खेल
- III. एशियन खेल
- IV. विश्व चैम्पियनशिपों
- V. ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियन खेलों तथा विश्व चैम्पियनशिपों के नियमित शाखाओं में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेलों में रिकार्ड तोड़ने वाला पदक विजेता प्रदर्शन ।
- VI. यह योजना विभिन्न रूप से सक्षम खिलाड़ियों के लिए आयोजित समकक्ष प्रतिस्पर्धाओं खेलों के लिए उनको भी सम्मिलित करेगी ।

IV. दी जानी वाली बारी के बिना पदोन्नति की संख्या

सम्पूर्ण सेवा कैरिअर में अधिकतम तीन बारी के बिना पदोन्नति, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्टता के लिए खिलाड़ियों को दी जा सकती है ।

(क) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता

- (i) किसी एक विशेष वर्ष में ओलम्पिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों एवं विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य अथवा एक से अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी उस वर्ष में केवल एक बार ही बिना बारी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे ।
- (ii) उपर्युक्त खेल प्रतियोगिताओं में केवल पदक जीतने वाली उपलब्धि पर ही बिना बारी पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा । यदि कोई एक खिलाड़ी अथवा एक से अधिक खिलाड़ी ओलम्पिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों एवं विश्व चैम्पियनशिप में किसी एक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के दौरान

कोई पदक नहीं जीत पाता है किंतु उस क्षेत्र में पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन करता है तो बिना बारी पदोन्नति की अनुमति नहीं होगी ।

- (iii) एक टीम प्रतियोगिता के मामले में कोई खिलाड़ी बिना बारी पदोन्नति के लिए केवल तभी पात्र होगा जब उसने उस प्रतियोगिता में कम से कम 50 प्रतिशत मैच खेले हों । रिजर्व खिलाड़ी, यदि कोई हो, तो वह किसी भी बिना बारी पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा ।
- (iv) एक कोच के रूप में प्रदर्शन के लिए बिना बारी की पदोन्नति पर तभी विचार किया जाएगा जब उसने किसी ऐसे खिलाड़ी अथवा टीम को प्रशिक्षित किया हो जिसने उपर्युक्त पैरा III में उल्लिखित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेलों/चैम्पियनशिप में पदक जीता हो । कोई भी कोच जो कि एक सरकारी सेवक हो, बशर्ते उसने अपने कार्यालय को पहले ही उस खिलाड़ी के नाम अथवा टीम के बारे में सूचित किया हुआ है, जो उससे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है । किसी ऐसे खिलाड़ी अथवा टीम जिसने कोई पदक जीता हो जिसे एक से अधिक कोच ने प्रशिक्षित किया, हो तो अन्य शर्तों के अध्यक्षीन, केवल प्रमुख कोच के लिए ही बिना बारी पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा ।
- (v) किसी कोच के लिए लागू बिना बारी पदोन्नति की संख्या चार वर्षों के अंतराल में अधिकतम दो होगी । यद्यपि, एक कोच के लिए लागू बिना बारी पदोन्नति की कुल संख्या पूरे करियर में उसे एक खिलाड़ी के रूप में प्रदर्शन हेतु पूर्व में दी गई ऐसी पदोन्नति सहित तीन से अधिक नहीं होगी ।

(ख) राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता

भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों के मामले में किसी एक वैयक्तिक क्षेत्र में रिकॉर्ड ध्वस्त कर पदक जीतने वाले प्रदर्शन हेतु पूरे सेवा करियर के दौरान एक बार बिना बारी पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा । यदि एक से अधिक खिलाड़ी किसी क्षेत्र में उन्हीं राष्ट्रीय खेलों में मौजूदा राष्ट्रीय रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को एक बार बिना बारी पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा ।

V. रिक्ति

यदि किसी खिलाड़ी को बिना बारी पदोन्नति की अनुमति उसके कार्मिक पद के उन्नयन द्वारा दी जानी है तो उस खिलाड़ी/कोच को बिना बारी पदोन्नति प्रदान करने के लिए किसी पृथक पद का सृजन नहीं किया जाएगा । ऐसा पद, उस खिलाड़ी द्वारा या तो उसकी अगली पदोन्नति, त्यागपत्र अथवा सेवानिवृत्ति द्वारा रिक्त किए जाने तक उच्च ग्रेड में उन्नयित हुआ जारी रहेगा । परिवीक्षा अवधि के दौरान कोई भी बिना बारी की पदोन्नति प्रदान नहीं की जाएगी । बिना बारी की पदोन्नति केवल पद के अनुक्रम में प्रदान की जाएगी किसी भी स्तर की वृद्धि की अनुमति नहीं होगी ।

VI. प्रक्रिया

बिना बारी की पदोन्नति केवल नियमित आधार पर लागू होगी । सतर्कता निकासी सहित नियमित पदोन्नति की प्रक्रिया बिना बारी की पदोन्नति के मामलों पर विचार करते समय अपनाई जानी चाहिए

। खिलाड़ियों को बिना बारी की पदोन्नति प्रदान करने के लिए डीपीसी का संयोजन वही होगी जो जिस पद में पदोन्नति की जाएं उसके लिए लागू सांविधिक भर्ती नियमों में निर्धारित हैं ।

VII. पदोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा में रियायत

संगत भर्ती नियमों में निर्धारित पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी ही अर्हक सेवा (फीडर ग्रेड में कार्यकाल की अवधि), शैक्षणिक योग्यता पूरा करने, पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण पूरा करने अथवा पदोन्नति किए जाने वाले पद के लिए लागू सांविधिक भर्ती नियमों में निर्धारित किसी अन्य शर्त की अपेक्षता में रियायत देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा । इसके पास मंत्रालय/विभाग के मामले में संबंधित सचिव का तथा संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में संगठन के प्रमुख का पूर्व अनुमोदन होगा ।

VIII. बिना बारी पदोन्नति हेतु समय सीमा

बिना बारी की पदोन्नति के लिए किसी खिलाड़ी की पात्रता की प्रक्रिया उस प्रतियोगिता के पूरा होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर की जाएगी, जो उसे बिना बारी की पदोन्नति हेतु पात्र बनाती है । किसी खिलाड़ी की बिना बारी की पदोन्नति पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर विचार करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की है ।

IX. पदोन्नति के प्रभावी होने की तारीख

बिना बारी की पदोन्नति उस प्रतियोगिता के समापन की तारीख से प्रभावी होगी ।

X. वरिष्ठता का निर्धारक

किसी पद/ग्रेड के लिए लागू सांविधिक भर्ती नियमों के प्रावधानों में छूट देते हुए बिना बारी की पदोन्नति प्रदान करते हुए उस पद/ग्रेड में नियुक्त किसी खिलाड़ी/कोच को उस विशेष वर्ष में नियुक्त हुए नियमित कार्मिक (भर्ती किए गए/पदोन्नत हुए) से वरिष्ठता में नीचे रखा जाएगा ।

XI. वेतन निर्धारण

खिलाड़ियों का बिना बारी की पदोन्नति पर उनके वेतन का निर्धारण नियमित पदोन्नति के समान ही किया जाएगा ।

(दिनांक 26.07.2012 का का.शा.सं. एफ.सं. 14034/1/2012-स्था.(घ))

(घ) विशेष आकस्मिक अवकाश

I. केन्द्र सरकारी सेवकों को किसी एक कैलेण्डर वर्ष में निम्नलिखित के लिए 30 दिन की अवधि तक का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है :

(क) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता;

(ख) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों की कोचिंग/प्रबंधन;

(ग) राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम अथवा इसके समतुल्य अखिल भारतीय कोचिंग अथवा प्रशिक्षण स्कीमों के अंतर्गत कोचिंग अथवा प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेना;

(घ) सरकार (युवा मामले एवं खेल विभाग) द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों/खेल बोर्डों द्वारा आयोजित खेल के कोचिंग शिविर में भाग लेना

(का. जा. सं. 6/1/85-स्था.(वेतन-1) दिनांक 07.11.88)

(ङ) पर्वतारोहण अभियान में भाग लेना

(च) अखिल भारतीय खेल परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ/खेल बोर्ड द्वारा आयोजित खेलों के कोचिंग शिविरों में भाग लेना; एवं

(छ) ट्रेकिंग अभियान में भाग लेना

(ज) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं में जूड़े हुए पूर्व चयन परीक्षणों/शिविरों में भाग लेना।

(दिनांक 16 जुलाई, 1985 के का.जा. सं. 6/1/1985-स्था.(वेतन-1) का पैरा 1 एवं 2)

- II. केंद्र सरकारी सेवकों को दिल्ली में तथा इसके बाहर आयोजित होने वाली अंतर-मंत्रालयीन एवं अंतर-विभागीय टूर्नामेंटों और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए किसी भी एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिनों की अवधि हेतु भी विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है।

(दिनांक 16.07.1985 के का.जा. सं. 6/1/85-स्था. (वेतन-1) का पैरा 2)

- III. अखिल भारतीय सिविल सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड के खिलाड़ियों, जो कोचिंग शिविरों में भाग लेते हैं तथा विभिन्न अखिल भारतीय सिविल सेवा खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता करते हैं, को भी विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस का. जा. में कवर किया गया है। (दिनांक 07.11.1988 के का.जा. के प्रावधान केवल केंद्र सरकार के ऐसे खिलाड़ियों के लिए लागू हैं जो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें केवल भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाए।

(दिनांक 30.01.1989 के का. जा. सं. 6/2/85-स्था (वेतन-1) का पैरा 1 (क)

(घ) प्रतिभागिता/कोचिंग की अवधि को इयूटी के रूप में मानना

- I. उन वास्तविक दिनों की अवधि जिसमें वे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और साथ ही ऐसे टूर्नामेंटों में आने-जाने में व्यतीत होने वाले समय को भी इयूटी के रूप में माना जाएगा।
- II. पूर्व-प्रतिभागिता कोचिंग शिविर में भाग लेने को इयूटी के रूप में माना जाता है।
- (दिनांक 16 जुलाई, 1985 के का. जा. सं. 6/1/1985-स्था. (वेतन-1) का पैरा 3 (i) एवं (ii))

(ङ.) यात्रा रियायत

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए चयनित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निम्नलिखित की अनुमति दी जाती है -

(क) भारत में होने वाली प्रतियोगिताओं हेतु ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी से यात्रा

(ख) भारत के बाहर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं हेतु हवाईजहाज की इकॉनोमी श्रेणी से यात्रा

(ग) खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को इयूटी पर माना जाता है और इसलिए वे नियमों के अधीन दौरे पर महंगाई भत्ते के लिए पात्र होते हैं ।

(दिनांक 16 जुलाई, 1985 के का.शा. सं. 6/1/1985-स्था. (वेतन-1) का पैरा 3(iii) एवं दिनांक 30.01.1989 के का.शा. सं. 6/2/85-स्था. (वेतन-1) का पैरा (ग)

(च) राष्ट्रीय महत्व की प्रतियोगिताएं

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा वैयक्तिक क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाली राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/टूर्नामेंट एवं भारतीय ओलाम्पिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों को राष्ट्रीय महत्व की प्रतियोगिताओं के रूप में माना जाता है ।

(दिनांक 07.11.1988 के का.शा.सं. 6/1/85-स्था.(वेतन-1) का पैरा 3(iii) एवं दिनांक 18 मार्च, 2008 के का.शा. सं. 6/2/2004-स्था. (वेतन-1) का पैरा 1)

(छ) अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रतियोगिताएं

संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताएं तथा जिनमें सरकार (युवा मामले एवं खेल विभाग) के पूर्व-अनुमोदन से प्रतिभागिता होता है, को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं के रूप में माना जाता है ।

(दिनांक 07.11.1988 के का.शा. सं. 6/1/85-स्था.(वेतन-1) का पैरा 3(iii))

ज. राष्ट्रीय युवा महासंघों की सूची

क्र.सं.	संघ का नाम/पता	क्र.सं.	संघ का नाम/पता
1.	भारतीय ओलम्पिक संघ, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली-110003	34.	अखिल भारतीय शतरंज संघ, हाल नं. 82, जवाहर लाल नेहरू, स्टेडियम, पेरियामेट, चैन्नई-600003
2.	भारतीय तीरंदाजी संघ, कमरा नं. 166, गेट नं. 29, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली-110003	35.	भारतीय घुड़सवार संघ, कमरा नं. 164बी, भूतल, गेट नं. 29, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली-110003
3.	भारतीय ऐमेचुर एथलेटिक्स संघ, कमरा नं. 1148, गेट नं. 28, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली-110003	36.	इंडियन गोल्ड यूनियन, कमरा नं. 1138, गेट नं. 27, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली-110003
4.	भारतीय बैडमिंटन संघ, डी-196, ए बापूनगर, जयपुर, राजस्थान	37.	भारतीय महिला हॉकी संघ, कमरा नं. 106, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली-110001
5.	भारतीय बिलयार्ड्स एवं स्नूकर संघ, 3-ए, ऑकलैंड प्लेस, सूट नं. 8-ए, 8वां तल, कोलकता-700017	38.	भारतीय जूडो संघ, कमरा नं. 1134 एबी, गेट नं. 27, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली
6.	भारतीय ऐमेचुर बॉक्सिंग संघ, कमरा नं. 158ए, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली-110003	39.	भारतीय कयाकिंग एवं कैनोइंग एसोसिएशन, 707, अकाशदीप भवन, 7वां तल, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली
7.	भारतीय ऐमेचुर कबड्डी संघ, 2, अकांक्षा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान	40.	भारतीय याचिंग संघ, कमरा नं. 707, 7वां तल, चाणक्य भवन, नई दिल्ली-11
8.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ भारतीय, गेट नं. 26, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली-110003	41.	बधिरों के लिए खेल (2005-2009), अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, 8, उत्तरी परिषर, श्री रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली-110001
9.	भारतीय रॉइंग संघ, संख्या 7/15, श्रीराम कॉलोनी, अल्वरपेट, चैन्नई-600018, तमिलनाडू, भारत	42.	भारतीय पैरालंपिक समिति, सं. 25/1, 9वीं क्रॉस रोड, जे.पी. नगर, सेकेंड फेज़, बेंगलूर-560078
10.	भारतीय स्क्वैश रैकेट संघ, मार्फत द इंडियन सीमेंट्स लि., धुन बिल्डिंग, तीसरा तल, नॉर्थ विंग, 27, अन्ना सलाई, चैन्नई, तमिलनाडू	43.	स्पेशल ओलिंपिक भारत, कमरा सं. 3027, तीसरा तल, अप्पर कॉनकॉर्स, स्टैंड-20, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड कांप्लेक्स, नई दिल्ली-110003
11.	भारतीय टेबल टेनिस संघ, कमरा सं. 1144-ए, प्रथम तल, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली- 110003	44.	भारतीय वूशू संघ, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली-110003
12.	अखिल भारतीय टेनिस संघ, आर.के. खन्ना	45.	भारतीय बास्केट बॉल संघ, जवाहर लाल

	टेनिस स्टेडियम, अफ्रीका एवेन्यू, नई दिल्ली-110029		नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली- 110003
13.	भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली- 110003	46.	भारतीय जिमनैस्टिक संघ, 160-ए, गेट नं. 28, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली- 110003
14.	भारतीय रस्लिंग संघ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली-110002	47.	भारतीय हॉकी संघ, 8/40, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
15.	भारतीय हैंडबॉल संघ, मार्फत 27, परेड ग्राउंड, जम्मू तवी-180001, जम्मू	48.	साइकिल पोलो (2005-2009), भारतीय साइकिल पॉलो संघ, 20, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली- 110001
16.	भारतीय स्कूल गेम्स संघ (एसजीएफआई)	49.	कोर्फबॉल (2003-2007), भारतीय कोर्फबॉल संघ, 31/30, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली- 110008
17.	भारतीय तैराकी संघ, 27, पारसकुंज सोसाइटी-1, सैटेलाइट रोड, अहमदाबाद-38-015	50.	नेटबॉल (2003-2007) भारतीय नेटबॉल संघ, 1/1606, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली
18.	भारतीय ताईक्वाण्डो संघ	51.	पोलो (2004-2008) भारतीय पोलो एसोसिएशन, सीओएस सचिवालय, साउथ ब्लॉक, डीएचक्यू पीओ, नई दिल्ली- 110011
19.	भारतीय एरो क्लब, सफदरजंग एयरपोर्ट, अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली- 110003	52.	पावरलिफ्टिंग (2005-2006) भारतीय पावरलिफ्टिंग संघ, के-641, लेन डब्ल्यू-12-बी, वेस्टर्न एवेन्यू, सैनिक फार्म, नई दिल्ली-110062
20.	भारतीय ब्रिज संघ, फ्लैट सं. एम 5 एवं 6, 1-8-526, जतकार भवन, चिक्कडपल्लि, हैदराबाद-500020	53.	भारतीय रोलर स्केटिंग संघ, 14/2, क्लाइव रॉ, कोलकाता-700001
21.	कैरम (2004-2008) अखिल भारतीय कैरम संघ, मार्फत डी-92, एमएमटीसी कॉलोनी, एरोबिंदी मार्ग, नई दिल्ली- 110017	54.	भारतीय रस्सा-कशी संघसंघ, पंजीकृत कार्यालय:301-302, दिल्ली चेंबर बिल्डिंग, दिल्ली गेट, नई दिल्ली- 110002
22.	क्रिकेट (पुरुष) बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, वांखडे स्टेडियम, डी रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020	55.	भारतीय बॉडी बिल्डिंग संघ, एसएआई हेल्थ क्लब, प्लॉट सं.4, एन-5, गुलमोहर कॉलोनी,सीआईडीसीओ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत
23.	क्रिकेट (महिला) (2005-2009) भारतीय महिला क्रिकेट एसोसिएशन, 147/149, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली	56.	भारतीय ट्रेयाथलन संघ, "धुन बिल्डिंग", 827, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002

24.	भारतीय अट्या पट्या संघ, नागपुर श्रमिक शिक्षण महाविद्यालय, डॉ. मूंगा मार्ग, धनतोली, नागपुर-440012	57.	भारतीय मालखंभ संघ, बी-14, शांति मुगल लेन, माहिम, मुंबई-400016
25.	बॉल बैडमिंटन	58.	भारतीय मोटर स्पोर्ट्स क्लब मोटर स्पोर्ट्स संघ, 18, कनोटपाह रोड, ॥ लेन, चेन्नई-600018
26.	भारतीय ऐमेचुर बेसबॉल संघ, बी-4/317 बी, केशवपुरम, दिल्ली-110035	59.	भारतीय स्पीक ताकरॉ संघ, एफ-2, 'रामा समिति अपार्टमेंट, घरे लेन, धनतोली, नागपुर-440012, महाराष्ट्र
27.	भारतीय साइक्लिंग संघ, कमरा सं. 108, यमुना वेलोड्रोम, आई.जी. काम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110002	60.	भारतीय सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन, रवातों का बास, जोधपुर-342001
28.	भारतीय फेन्सिंग एसोसिएशन, कमरा सं. 1152, प्रथम तल, गेट नं. 28, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली- 110003	61.	भारतीय शूटिंग बॉल संघ, ई-134, कमला नगर, नई दिल्ली-110007
29.	अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, फुटबॉल हाउस, सेक्टर 19, द्वारका, नई दिल्ली- 110075	62.	भारतीय टेन्नीक्वाइट संघ
30.	अखिल भारतीय कराटे डू संघ	63.	भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन, स्पोर्ट्स प्वाइंट, डाकघर के पास, मेन बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273001, भारत
31.	भारतीय खो-खो संघ, 6212, हिंदुस्तान पार्क, कोलकाता-700029	64.	भारतीय थ्रो बॉल संघ, नं.36, सेकेण्ड क्रॉस, 20वां मेन रोड, मुनेश्वैया, बंगलोर
32.	टेन-पिन बाउलिंग, भारतीय टेन-पिन बाउलिंग संघ, जी-25, प्रथम तल, साकेत, नई दिल्ली-110017	65.	भारतीय शीतकालीन खेल संघ, 17/19, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली- 110002
33.	भारतीय वॉलीबॉल संघ, कमरा सं. 160बी, गेट नं. 28, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली-110003		

(दिनांक 18 मार्च, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/2/2004-स्था. (वेतन-1) का अनुबंध)

पैरा क.V में तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित नमूना फॉर्म

फॉर्म ।

(किसी मान्यता प्राप्त गेम/खेल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु)

राष्ट्रीय _____ संघ/राष्ट्रीय _____ एसोसिएशन

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए सराहनीय खिलाड़ी को प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ और निवासी _____ ने

(पूरा पता)

_____ से _____ तक _____ में आयोजित _____

प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ गेम/स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया है ।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम को _____ स्थान प्राप्त हुआ था।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय _____ संघ/राष्ट्रीय _____ एसोसिएशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर प्रदान किया जा रहा है ।

स्थान _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

दिनांक _____

पदनाम _____

संघ/राष्ट्रीय एसोसिएशन

का नाम _____

पता _____

मोहर _____

टिप्पणी : यह प्रमाण-पत्र सचिव, राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय एसोसिएशन द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किए जाने पर ही मान्य होगा ।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 04 अगस्त, 1980 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14015/1/78-स्था. (घ) का अनुबंध)

फॉर्म-2

(किसी मान्यता प्राप्त गेम/खेल की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत के किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने हेतु)

_____ के _____ गेम में राज्य _____ एसोसिएशन

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए सराहनीय खिलाड़ी को प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ और निवासी _____ ने
(पूरा पता)
_____ से _____ तक _____ में आयोजित _____
राष्ट्रीय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ गेम/स्पर्धा में _____ राज्य का
प्रतिनिधित्व किया है ।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम को _____ स्थान प्राप्त हुआ था।

यह प्रमाण-पत्र राज्य _____ एसोसिएशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर
प्रदान किया जा रहा है ।

स्थान _____

हस्ताक्षर _____

दिनांक _____

नाम _____

पदनाम _____

राज्य एसोसिएशन

का नाम _____

पता _____

मोहर _____

टिप्पणी : यह प्रमाण-पत्र सचिव, राज्य एसोसिएशन द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किए जाने पर ही
मान्य होगा ।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 04 अगस्त, 1980 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14015/1/78-
स्था. (घ) का अनुबंध)

फॉर्म-3

(किसी मान्यता प्राप्त गेम/खेल की अंतर विश्वविद्यालयी प्रतिस्पर्धा में किसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु)

_____ विश्वविद्यालय

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए सराहनीय खिलाड़ी को प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ और निवासी _____

(पूरा पता)

छात्र _____ ने _____ से _____ तक
_____ में आयोजित _____ अंतर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता/टूर्नामेंट
में _____ गेम/स्पर्धा में _____ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम को _____ स्थान प्राप्त हुआ था।

यह प्रमाण-पत्र _____ विश्वविद्यालय में खेलकूद संकायाध्यक्ष या खेलकूद के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर प्रदान किया जा रहा है।

स्थान _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

दिनांक _____

पदनाम _____

विश्वविद्यालय

का नाम _____

पता _____

मोहर _____

टिप्पणी : यह प्रमाण-पत्र _____ विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष/निदेशक या खेलकूद के प्रभारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किए जाने पर ही मान्य होगा।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 04 अगस्त, 1980 के कार्यालय जापन सं. 14015/1/78-

स्था. (घ) का अनुबंध ख)

फॉर्म-4

_____ राज्य सार्वजनिक सूचना/शिक्षा निदेशालय

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए सराहनीय खिलाड़ी को प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ और निवासी _____

(पूरा पता)

छात्र _____ ने _____ से _____ तक
_____ में आयोजित _____ राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद में
_____ गेम/स्पर्धा में _____ राज्य स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व किया है।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम को _____ स्थान प्राप्त हुआ था।

यह प्रमाण-पत्र _____ राज्य के सार्वजनिक सूचना/शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में
उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर प्रदान किया जा रहा है।

स्थान _____

हस्ताक्षर _____

दिनांक _____

नाम _____

पदनाम _____

पता _____

मोहर _____

टिप्पणी : यह प्रमाण-पत्र राज्य के सार्वजनिक सूचना/शिक्षा निदेशालय के स्कूल खेल/गेम के प्रभारी निदेशक
या अपर/संयुक्त अथवा उप-निदेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किए जाने पर ही मान्य
होगा।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 04 अगस्त, 1980 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14015/1/78-
स्था. (घ) का अनुबंध ख)

फॉर्म-5

(शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित शारीरिक क्षमता प्रदर्शनों में पुरस्कार पाने वालों हेतु)

भारत सरकार/युवा कार्य एवं खेल-कूद विभाग

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए सराहनीय खिलाड़ी को प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ और निवासी _____

(पूरा पता)

ने _____ से _____ तक _____ में आयोजित _____
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में _____ गेम/स्पर्धा में _____ स्कूल टीम का
प्रतिनिधित्व किया है।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम को _____ स्थान प्राप्त हुआ था।

यह प्रमाण-पत्र शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर प्रदान किया जा रहा है।

स्थान _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

दिनांक _____

पदनाम _____

पता _____

मोहर _____

टिप्पणी : यह प्रमाण-पत्र शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय के सचिव या शारीरिक क्षमता के प्रभारी कोई अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किए जाने पर ही मान्य होगा।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 04 अगस्त, 1980 के कार्यालय आपन सं. 14015/1/78-
स्था. (घ) का अनुबंध ख)

वर्तमान वेतनमान के समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' पदों हेतु संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के संदर्भ में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए वैयक्तिक वेतन की संशोधित दरें

क्र.सं.	संशोधनपूर्व वेतनमान		संशोधित वेतन ढांचा			संशोधित वैयक्तिक वेतन की दर
	पद/ग्रेड	संशोधनपूर्व वेतनमान	वेतन बैंड/ वेतन बैंड/ मान का नाम	समकक्ष मान	समकक्ष ग्रेड वेतन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	एस-1	2550-55-2660-60-3200	-1एस	4440-7440	1300	210
2	एस-2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4440-7440	1400	
3	एस-2A	2610-60- 291 0-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1600	
4	एस-3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1650	
5	एस-4	2750-70-3800-75-4400	पी.बी.-I	5200-20200	1800	
6	एस-5	3050-75-3950-80-4590	पी.बी.-I	5200-20200	1900	
7	एस-6	3200-85-4900	पी.बी.-I	5200-20200	2000	
8	एस-7	4000-100-6000	पी.बी.-I	5200-20200	2400	
9	एस-8	4500-125-7000	पी.बी.-I	5200-20200	2800	250
10	एस-9	5000-150-8000 \	पी.बी.-2	9300-34800	4200	400
11	एस-10	5500-175-9000	पी.बी.-2	9300-34800	4200	
12	एस-11	6500-200-6900	पी.बी.-2	9300-34800	4200	
13	एस-12	6500-200-10500	पी.बी.-2	9300-34800	4200	
14	एस-13	7450- 225-11500	पी.बी.-2	9300-34800	4600	450
15	एस-14	7500-250-12000	पी.बी.-2	9300-34800	4800	500

16	5-15	8000-275-13500	पी.बी.-2	9300-34800	5400	550
17	नया वेतनमान	8000-275-13500 (समूह क प्रवेश)	पी.बी.-3	15600-39100	5400	
18	एस-16	9000	पी.बी.-3	15600-39100	5400	
19	एस-17	9000-275-9550	पी.बी.-3	15600-39100	5400	
20	एस-18	10325-325-10975	पी.बी.-3	15600-39100	6600	650
21	एस-19	10000-325-15200	पी.बी.-3	15600-39100	6600	
22	एस-20	10650-325-15850	पी.बी.-3	15600-39100	6600	
23	एस-21	12000-375-16500	पी.बी.-3	15600-39100	7600	750
24	एस-22	12750-375-16500	पी.बी.-3	15600-39100	7600	
25	एस-23	12000-375-18000	पी.बी.-3	15600-39100	7600	
26	एस-24	14300-400-18300	पी.बी.-4	37400-67000	8700	800
27	एस-25	15100-400-18300	पी.बी.-4	37400-67000	8700	
28	एस-26	16400-450-20000	पी.बी.-4	37400-67000	8900	900
29	एस-27	16400-450-20900	पी.बी.-4	37400-67000	8900	
30	5-28	14300-450-22400	पी.बी.-4	37400-67000	10000	1000
31	एस-29	18400-500-22400	पी.बी.-4	37400-67000	10000	